"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/5/1880. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/5/1078 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला धमतरी के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला धमतरी की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, **रायपुर**

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
(1)	(2)	(3)	(4)
निरंक			

जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, **रायपुर**

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सोरम	भटगांव	भटगांव, श्यामतराई, बेन्द्रानवागांव, **नवागांवखुर्द,** गोकुलपुर वार्ड, सोरिद वार्ड
2	आमदी	पोटियाडीह	मुजगहन, पोटियाडीह, रत्नाबांधा, हटकेशर वार्ड
3	अछोटा	लीलर	अरौद, भंवरमरा, लीलर
4	दोनर	झुरानवागांव	सेमरा बी, झुरानवागांव, सिवनीखुर्द, बारना
5	बारगरी	माटेगहन	अकलाडोगरी, तिर्रा, चिखली, कोड़ेगांव आर, माटेगहन, कोहका, कोलियारी नया, कोलियारी पुराना, कोड़ेगांव मा, ओड़ेकोन्हा, सटियारा
6	भखारा	कोलियारी	कोलियारी, जोरातराई, भेण्डसर,
7	गातापार	भेण्ड्रा	ईर्रा, भेण्ड्रा, चरोटा, लोहारपथरा
8	जुगदेही	सिलौटी	सिलौटी, सेमरा, जोरातराई, खपरी
9	रामपुर	पचपेड़ी	पचपेड़ी, गाड़ाडीह, भेलवाकुदा
10	बगौद	भुसरेंगा	भुसरेंगा, कन्हारपुरी, भालुझुलन
11	भाठागांव	अटंग	गोबरा, अटंग, भालूकोना
12	खिसोरा	नवागांव	नवागांव, डूमरपाली, धौराभांठा
13	मगरलोड	करेली छोटी	करेलीछोटी, डाभा, छिपली लुगे
14	मोहंदी	राजपुर	राजपुर, सरगी, केवराडीह, धनबुडा
15	सिंगपुर	मुलगांव	पठार, बेन्द्राचुआ, मुलगांव, सोनारीनर्दहान, पीपरौद, खड़मा, मड़वापथरा, सरईरूख, बिरझुली, गोबरापठार, आलेखुटा, पेण्डा, कुसुमखुटा, बोदलाबाहरा
16	कुकरेल	बाजार कुर्रीडीह	बनबगौद, बाजार कुर्रीडीह, सिरौदकला, बरबांधा, पीपरछेड़ी, झुरातराई, कोटरवाही, छलकनी, **पारधी,** मगौद
17	घुटकेल	कसपुर	कसपुर, नवागांव, कट्टीगांव, सिंगनपुर, घुरावड़, बरोली, मरियामारी,बरबांधा, जैतपुरी अमाली

18	सांकरा	बेलरबाहरा	बेलरबाहरा, बरपदर, कसलोर, मेचका, अरसीकन्हार, खालगढ, बोईरगांव, आमामुड़ा, ठेनही, गाताभरी, बासीन, अर्जुनी, दौडपडरीपानी, तुमडीबहार, रिसगांव, बामाबहार, खरका, सदबाहरा, मादागिरी, करही, उलरावन, जोरातराई, मासुलखोई
19	सेमरा	टांगापानी	टांगापानी गोरनानाला, कोगेरा, जुनवानी, भड़सिवना, खडपथरा,बांसपानी, ठेमलीपारा, केकराडोगरी
20	गट्टासिल्ली		मुरूमतरा
		केरेगांव	केरेगांव, रायपारा, हर्राकोठी, पडरीपानी, नाथूकोन्हा, जामपानी, कुरमाझर, डोकाल, कोर्रा, चंदनपुर, खाड़ादाह, बासीखाई, ब्राम्हनबाहरा, बगरूमनाला, जामनाला, हितली, बरकोन्हा, बेन्द्रापानी, सियारीनाला, बीजापुर, चनागांव, छिन्दभर्री, भोथापारा, अमलीपारा, **गेदरापारा,** मांडमसिल्ली
		दुगली	सराईटोला रै.
21	डोगरडुला		दुगली, कोलियारी, मुनईकेरा, देवगांव, दिनकरपुर, कौहाबाहरा, पालगांव, केरेमुड़ा, बांधा, मोहमल्ला मा, मोहमल्ला रै, गुहाननाला

जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, **रायपुर**

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बेलरगांव	गढ़डोगरी, (म), बोकराबेडा, गढ़डोगरी (रै), गिधवा, पांवद्वार, लटियारा, चर्रा	–	गढ़डोगरी (रै)
		पण्डरीपानी मा.	सिहावा	–

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.